रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 594] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 22, 2012/अग्रहायण 1, 1934
No. 594] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 22, 2012/AGRAHAYANA 1, 1934

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2012

सा.का.नि. 840(अ).— केन्द्रीय सरकार, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 63 की उपधारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सदस्य सचिव, सेवा एवं भर्ती के निबंधन एवं शर्तें) नियम, 2008 को उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव की सेवा की शर्तें और निबंधन तथा भर्ती को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सदस्य सचिव, सेवा की शर्तें और निबंधन तथा भर्ती) नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान :** उक्त पद की संख्या, उसका **वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या** उस पद से संबंधित वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा शैक्षणिक योग्यताएं आदि :** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षणिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. सेवा की शर्तें- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में सदस्य सचिव की सेवा के वेतन, भत्तों, छुट्टी, भविष्य निधि, अधिवर्षिता की आयु, सेवानिवृत्त लाभ, चिकित्सा सुविधाएं संबंधी मामलों की शर्तें एवं सेवा की अन्य शर्तें, ऐसे नियमों एवं विनियमों के अनुसार विनियमित होंगी जैसा कि उन स्थानों पर नियुक्त सदृश वेतनमान के समूह 'क' से संबंधित सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए निवर्तमान समय पर लागू है ।

5. निरर्हता : वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हैं कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आंदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
सदस्य सचिव	एक (2012)	लागू नहीं होता	पे बैंड -4 37400-67000रु. + ग्रेड वेतन 8900 रू.	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
7	8	9
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।
10	11
प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ।	प्रतिनियुक्ति : (1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक सेक्टर के उपक्रम या विश्वविद्यालय या सरकारी अनुसंधान संस्थान या स्वायत्तशासी कानूनी निकाय के अधिकारी - (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-4 के 8700 के ग्रेड वेतन के साथ 37,400-67,000 रु0 या समतुल्य में नियमित नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में दो वर्ष की सेवा की है या ऐसे अधिकारी जिन्होंने वेतन बैंड-3 में 7600 या समतुल्य में के ग्रेड वेतन के साथ 15,600-39100 रु0 या समतुल्य में नियमित नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में छह वर्ष की सेवा की है; (ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव हैं - (i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय या समतुल्य से विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या इंजीनियरी में डिग्री; और (ii) सरकारी विभाग या संस्थान या केन्द्रीय सार्वजिनिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या सरकारी अनुसंधान संस्थाओं या स्वायत्तशासी या कानूनी निकाय में 6600 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ 15600-39100 के वेतन बैंड-3 के वेतनमान से नीचे न होगा प्रदूषण नियंत्रण के वैज्ञानिक इंजीनियरी या प्रबंध पहलुओं से संबंधित मामलों में प्रशासनिक या प्रबंध स्तर पर बारह वर्ष का व्यावहारिक अनुभव ।

	वांछनीय: पर्यावरण से संबंधित विज्ञान में पी.एचडी. या किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय या समतुल्य से पर्यावरण से संबंधित विद्या में इंजीनियरी में एम.टेक. । **टिप्पण 1**-- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2**--प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन (56) वर्ष से अधिक नहीं होगी परंतु अभ्यर्थी पद के लिए अन्य पात्रताएं पूरी करता हो ।

विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[फा. सं. ए-12021/1/2011--सीपीडब्ल्यू]

डॉ. राशिद हसन, सलाहकार

4370 GI/12-2

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2012

G.S.R. 840(E).— In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 63 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, (6 of 1974), and in supersession of the Central Pollution Control Board (Member Secretary, Terms and Conditions of Service and Recruitment) Rules, 2008, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, in consultation with the Central Pollution Control Board, hereby makes the following rules regulating the terms and conditions of service and recruitment to the post of the Member-Secretary to the Central Pollution Control Board, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Pollution Control Board (Member-Secretary, Terms and Conditions of Service and Recruitment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.**— The number of posts, their classification pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Conditions of service.**— The conditions of service of the Member-Secretary to the Central Pollution Control Board in the matters of pay, allowances, leave, provident fund, age of superannuation, retirement benefits, medical facilities and other conditions of service, shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are for the time being applicable to officers and employees of the Central Government belonging to Group A of the corresponding scales of pay stationed at those places.

5. **Disqualification.**—No Person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard:

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Member Secretary	One (2012)	Not applicable	Pay band - 4, ₹37,400-67,000 plus Grade Pay of ₹8,900	Selection	Not Applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
By deputation including short-term contract	Deputation: Officers of the Central or State Government or public sector undertaking or University or Government research institution or autonomous or statutory body — (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With two years service in the grade rendered after

appointment thereto on regular basis in pay band - 4 of ₹37,400-67,000 with Grade Pay of ₹8,700 or officers with six years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay band -3 of ₹15,600 - 39,100 with Grade Pay of ₹7,600 or equivalent in the parent cadre or department ; and

(b) possessing the following qualification and experience:
(i) Master's degree in Science or degree in Engineering from a recognized institute or university or equivalent ; and

(ii) Twelve (12) years experience in the regular Group-'A' posts, not below the rank and pay scale of pay band -3 of ₹15,600 - 39,100 with grade pay of ₹6,600/-, in Government department or institution or central public sector undertaking or university or Government research institution or autonomous or statutory body at the administrative or managerial level with practical experience in matters relating to scientific, engineering or management aspects of pollution control ; and

Desirable: Ph.D in Science relating to Environment or M.Tech in Engineering in a discipline relating to Environment from a recognized institute or University or equivalent.

Note 1 - Period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department or the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2 - The maximum age limit of appointment by deputation shall be not exceeding fifty six (56) years as on the closing date of the receipt of applications, provided candidate fulfills the other eligibility conditions for the post.

If a Department Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not Applicable	Not Applicable

[F.No. A-12021/1/2011-CPW]
Dr. RASHID HASAN, Advisor

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.